"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर 2016—— कार्तिक 25, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–42/2016/वाक/पांच (75).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक, कर के भुगतान से, दिनांक 31–03–2017 तक छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	डेबिट/क्रेडिट कार्ड स्वाईप मशीन	संपूर्ण कर

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ–10–42/2016/वाक/पांच (75).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–42/2016/वाक/पांच (75) दिनांक 16–11–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 16th November 2016

NOTIFICATION

No. F-10-42/2016/CT/V (75).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent as specified in column (3) of the said Schedule upto 31-03-2017, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Debit/Credit Card Swipe Machine	Whole of tax

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.